

नम्बर ले रुपाधारे आदेश

टोकी
5-5-66
5-9-12

वाद संख्या-०३ (2012)

१९

न्यायालय उपजिलाधिकरण सिरोलीगौसपुर, बाराबंकी।

अन्तर्गत धारा-143 ज0वि० अधिनियम

ग्राम-बरदरी, परगना-बदोसरांय

तहसील-सिरोलीगौसपुर, जिला-बाराबंकी।

स्व० मोहनलाल वर्मा मेमोरियल फाउन्डेशन

बनाम

सरकार

आदेश

आज पत्रावली श्रीमती सुधारानी वर्मा पुत्री अंबिका भरायण के प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.08.2012 के आधार पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र में अभिकथन किया गया कि उक्त वाद का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2006 के अन्तर्गत हो चुका है जिसका अनुपालन राजस्व अभिलेखों पर नहीं हो पाया है। प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 05.05.2006 का अनुपालन अभिलेखों पर कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 05.05.2006 के अन्तर्गत खातेदार की खाता संख्या-154 पर अंकित भूखण्डों को अकृषिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक/आबादी के रूप में घोषित किया जा चुका है जिसका अनुपालन अभिलेखों पर होने से छूट गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करके आदेश का अनुपालन अभिलेखों पर कराया जाना न्यायहित में उचित है।

उन आदेश दिनांक 05.05.2006 के कम में ग्राम बरदरी की खाता संख्या-154 (1416 पक्ष-1421 फसली) पर अंकित भूखण्ड अकृषिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक/आबादी के रूप में दर्ज हो। तदनुसार अभिलेखों पर अमलदरामद के पश्चात् वाद पत्रावली संचित राजस्व अभिलेखालय हो।

दिनांक- ५/९/१२


५=१३/१३
५/९/१२

(इन्द्रासम सिंह यादव)

उपजिलाधिकारी

सिरोलीगौसपुर, बाराबंकी।

छापा पृष्ठ
पन्थ उपजिला १४



कायालय

6 ...

13-11-13

121 = "

156-11-14

Manager
Chaudhary Charan Singh
College of Pharmacy
Bardari-Barabanki

13-11-13

कायालय
पन्थ उपजिला १४
परगना गांसपुर, बाराबंकी

